

अध्याय-2
वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

अध्याय - 2

2 वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोजन लेखे, जैसा कि विनियोजन अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदानों तथा प्रभारित विनियोजनों की राशियों से तुलना करते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के दत्तमत्त तथा प्रभारित व्यय के लेखे हैं। इन लेखों में मूल बजट अनुमान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण तथा पुनः विनियोजन स्पष्ट रूप से दर्शाए जाते हैं तथा यह विनियोग अधिनियम द्वारा बजट की प्रभारित तथा दत्तमत मदों दोनों के संबंध में विभिन्न विशिष्ट सेवाओं पर प्राधिकृत पूँजीगत तथा राजस्व व्यय को वास्तविक पूँजीगत व दत्तमत्त व्यय की तुलना में दर्शाते हैं। इस प्रकार विनियोग लेखे वित्त के प्रबंधन तथा बजट प्रावधानों की निगरानी को सुविधाजनक बनाते हैं तथा इसलिए वित्त लेखों के पूरक हैं।

2.1.2 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने हेतु की जाती है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया व्यय वास्तव में विनियोग अधिनियम के अंतर्गत दिये गये प्राधिकार के भीतर है। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि इस प्रकार किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, विनियमों तथा अनुदेशों के अनुरूप है। इस अध्याय में वर्ष 2016-17 के लिए लेखा नियंत्रक, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा तैयार किए गए विनियोग लेखों के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ शामिल हैं।

2.2 विनियोजन लेखों का सारांश

वर्ष 2016-17 के दौरान 14 अनुदानों/विनियोजनों के प्रति वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति तालिका 2.1 में दी गई है:

तालिका 2.1: मूल/पूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोजन	पूरक अनुदान/ विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ अधिकता (+)
दत्तमत्त	राजस्व	32,162.01	273.30	32,435.31	26,343.92	(-)6,091.39
	पूँजीगत	6,709.67	(-)231.70 [#]	6,477.97	3,988.45	(-)2,489.52
	ऋण व अग्रिम	2,055.43	784.97	2,840.40	2,552.53	(-)287.87
कुल दत्तमत्त		40,927.11	826.57	41,753.68	32,884.90	(-)8,868.78
भारित	राजस्व	3,685.53	2.70	3,688.23	3,081.24	(-)606.99
	पूँजीगत	0.10	शून्य	0.10	0.01	(-)0.09
	ऋण व अग्रिम	1,987.26	0.00	1,987.26	1,654.62	(-)332.64
कुल भारित		5,672.89	2.70	5,675.59	4,735.87	(-)939.72
आकस्मिक निधि का विनियोजन (यदि कोई हो)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल जोड़		46,600.00	829.27	47,429.27	37,620.77	(-)9,808.50

[#] ऋणात्मक आंकड़े ऋण तथा अग्रिम में (-) ₹ 253.37 करोड़ का पुनर्विनियोग तथा ₹ 21.67 करोड़ के पूरक अनुदानों के कारण हैं।

2016-17 के दौरान ₹ 47,429.27 करोड़ के कुल अनुदान तथा विनियोजन के प्रति ₹ 37,620.77 करोड़ का व्यय हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9,808.50 करोड़ की बचत हुई। ₹ 9,808.50 करोड़ की कुल बचत में ₹ 6,698.38 करोड़ की बचत राजस्व सेक्शन के 13 अनुदानों तथा एक विनियोजन तथा पूँजीगत सेक्शन एवं ऋण व अग्रिम के अंतर्गत ₹ 3,110.12 करोड़ की बचत के परिणामस्वरूप थी।

2.3 वित्तीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंधन

2.3.1 पिछले वर्षों के दौरान प्रावधानों से अधिक किए गए व्यय जिनका नियमितीकरण अपेक्षित है

भारत के संविधान की धारा 205 बताती है कि यदि किन्हीं सेवाओं हेतु एक वित्तीय वर्ष में उस वर्ष के लिए उस सेवा हेतु प्रदान की गई राशि से अधिकता में व्यय किया गया है, तो अधिकता में किए गए व्यय का राज्य विधानसभा द्वारा नियमितीकरण किया जाना चाहिए। हालाँकि इस अनुच्छेद में व्यय के नियमितीकरण हेतु कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है, परंतु परंपरा अनुसार लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) द्वारा विनियोजन लेखों पर चर्चा की समाप्ति के बाद अधिक व्यय को नियमित किया जाना होता है। हालाँकि, 2006-07 से 2015-16 की अवधि के लिए लगभग ₹ 85.71 करोड़ के अधिक व्यय को नियमित किया जाना अभी भी अपेक्षित था। अधिक व्यय के बकाया नियमितीकरण की वर्षवार राशि को तालिका 2.2 में सारांशिकृत किया गया है।

तालिका 2.2: पिछले वर्षों से संबंधित प्रावधान से ऊपर किए गए अधिक व्यय जिनका नियमितीकरण अपेक्षित है

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों की संख्या	प्रावधान से ऊपर किए गए अधिक व्यय की राशि
2006-07	7 (38 उप-शीर्ष)	9.12
2007-08	5 (30 उप-शीर्ष)	11.55
2008-09	5 (29 उप-शीर्ष)	17.35
2009-10	3 (3 उप-शीर्ष)	5.60
2010-11	2 (5 उप-शीर्ष)	3.98
2012-13	1 (11 उप-शीर्ष)	27.22
2013-14	6 (18 उप-शीर्ष)	5.17
2014-15	2 (12 उप-शीर्ष)	3.51
2015-16	2 (06 उप-शीर्ष)	2.21
	कुल	85.71

2.3.2 2016-17 के दौरान प्रावधानों से अधिक किए गए व्यय जिनका नियमितीकरण अपेक्षित है

वर्ष 2016-17 के लिए शीर्षवार विनियोजन लेखों में यह देखा गया कि ₹ 28.30 करोड़ के कुल प्रावधान के प्रति छः अनुदानों में सात उप-शीर्षों के अंतर्गत, वास्तविक व्यय ₹ 33.64 करोड़ था, जिसके फलस्वरूप ₹ 5.34 करोड़ का अधिक व्यय हुआ था, जो कि अभी (अक्टूबर 2017) तक नियमित किया जाना था (परिशिष्ट 2.1)। इस प्रकार, संविधान की धारा 205 के अंतर्गत ₹ 91.05 करोड़ के अधिक व्यय (2006-07 से 2016-17 तक) को नियमित किए जाने की आवश्यकता थी।

2.3.3 आबंटित प्राथमिकताओं की तुलना में बचतें

वर्ष 2016-17 के विनियोजन लेखे यह दर्शाते हैं कि आठ अनुदानों से संबंधित 12 मामलों में प्रत्येक में बचत ₹ 50 करोड़ से अधिक तथा कुल ₹ 1,240.61 करोड़ थी। (परिशिष्ट 2.2)

बचत के कई कारणों में से मुख्य स्कीम की धीमी प्रगति, स्कीम का गैर-क्रियान्वयन, कम अनुदान जारी किया जाना तथा कार्य की धीमी प्रगति थे।

2.3.4 निरंतर बचतें

पिछले पाँच वर्षों के दौरान, चार अनुदानों में ₹ 1.00 करोड़ से भी अधिक या कुल अनुदान के 20 प्रतिशत से अधिक की निरंतर बचतें हुईं जिसका ब्यौरा तालिका 2.3 में दिया गया है:

तालिका 2.3: 2012-17 के दौरान निरंतर बचतों को दर्शाने वाले अनुदानों की सूची (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की शीर्ष सं. व नाम		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राजस्व - दत्तमत							
1.	अनुदान सं. 3- न्यायिक प्रशासन						
	2014.00.108.99/2014/बी.1(2)	कु. प्रा.	34.59	39.62	47.77	62.41	58.50
	(1)- न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट	ब.	5.00	6.04	8.05	15.29	8.13
		%	14.46	15.24	16.85	24.5	13.90
2.	अनुदान सं. 7- चिकित्सा तथा जनस्वास्थ्य						
	2211.00.102.80.00.42/के 1	कु. प्रा.	4.5	4.9	10.67	10	19.26
	(3) (1)- शहरी परिवार कल्याण केंद्र (सी एस एस)	ब.	1.93	3.5	9.21	8.71	17.76
		%	42.89	71.43	86.32	87.1	92.21
3.	अनुदान सं. 11- शहरी विकास तथा लोक निर्माण						
	2217.80.191.13/ए. 8	कु. प्रा.	339.87	325.16	157.12	377.16	414.87
	(2)(1)(26)- नागरिक सुधारों के लिए सहायता अनुदान	ब.	189.87	325.16	157.12	377.16	40.87
		%	55.86	100	100	100	9.85
पूंजीगत-दत्तमत							
4.	अनुदान सं. 8- समाज कल्याण						
	5055.00.800.97.00.42/डी.डी.1	कु. प्रा.	10	100	3	11	11.73
	(3)(1)-इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजी बसों - परिवहन की वैकल्पिक प्रणाली का आरंभ	ब.	8.39	97.21	3	11	11.73
		%	83.9	97.21	100	100	100

कु.प्रा.--कुल प्रावधान (वास्तविक+पूरक+पुनर्विनियोग), ब.-बचत, % - प्रतिशतता

2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 के वर्षों के दौरान नागरिक सुधारों के लिए सहायता अनुदान के अंतर्गत तथा 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक ट्राली बसें-परिवहन की वैकल्पिक प्रणाली प्रारंभ करने के लिए सहायता अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान अप्रयुक्त रहे।

उपरोक्त मामले निधि की आवश्यकता से अधिक अनुमानों को इंगित करते हैं तथा यह निरंतर बचतों और योजना के गैर-क्रियान्वयन को रोकने के लिए प्रभावी उपचारी कार्रवाई करने में विभाग की असफलता का सूचक हैं।

2.3.5 सम्पूर्ण प्रावधान की बचतें

आठ अनुदानों तथा एक विनियोजन के 119 उपशीर्षों में (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ अथवा उससे अधिक) सम्पूर्ण प्रावधान विभागों द्वारा अप्रयुक्त रह गए अथवा वित्त वर्ष 2016-17 की समाप्ति के पूर्व सरकारी खातों में वापिस जमा करा दिये गये। उप-शीर्षों का विवरण परिशिष्ट-2.3 में दिया गया है। सम्पूर्ण प्रावधान की बचत यह संकेत करती हैं कि आकलन परियोजनाओं/स्कीमों की पर्याप्त संवीक्षा के बिना ही तैयार किए गए थे। स्कीम जो कुल प्रावधान को उपयोग नहीं किए जाने के कारण प्रारंभ नहीं हो सकीं अथवा प्रभावित हुईं, वे हैं: बसों की खरीद के लिए दिल्ली परिवहन निगम को इक्विटी पूँजी (₹ 150 करोड़), दि.प.नि. कलस्टर बसों में सीसीटीवी कैमरों को लगाया जाना (₹ 90 करोड़), मोहल्ला रक्षा दल (₹ 200 करोड़), जे.एन.एन.यू. आर.एम. परियोजनाओं के अधीन प्रमुख नालों के बराबर इंटर-सेक्टर सीवर के लिए दिल्ली जल बोर्ड को अनुदान (₹ 200 करोड़), सड़कों का व्यापक रख-रखाव (₹ 100 करोड़), एल.ई.डी. स्क्रीनों के प्रावधान (₹ 137 करोड़) तथा सी.सी.टी.वी. कैमरों को लगाया जाना (₹ 200 करोड़), मिड-डे मील कार्यक्रमों के लिए सहायता अनुदान (₹ 34.47 करोड़)।

2.3.6 अनावश्यक पूरक प्रावधान

पूरक माँग का चुनाव असामान्य और अत्यावश्यक मामलों में ही करना चाहिए। पूरक अनुदान को प्राप्त करते समय विभाग को वर्ष के दौरान उपलब्ध अथवा उपलब्ध होने की संभावना वाले संसाधनों को ध्यान में रखना चाहिए और निधियों की अतिरिक्त बजटीय आवश्यकता का पूर्वानुमान करते समय आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए।

वर्ष 2016-17 के विनियोजन लेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा दिखाती है कि उच्चतर/अतिरिक्त व्यय का पूर्वानुमान करते हुए तीन उप-शीर्षों में ₹ 27.32 करोड़ का अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया। हालाँकि, दो मामलों में

अंतिम व्यय मूल अनुदान से भी कम हुआ, जैसाकि तालिका 2.4 में वर्णित है।

तालिका 2.4: अधिक/अनावश्यक पूरक अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान से बचत	पूरक अनुदान
राजस्व दत्तमत					
अनुदान सं. 11: शहरी विकास तथा लोक निर्माण					
1	2801.05.800.80 एमेनेस्टी स्कीमों के लेखों पर बिजली उपभोक्ताओं को एकबार छूट	शून्य	शून्य	-	23.00
राजस्व प्रभारित					
अनुदान सं. 2: सामान्य प्रशासन					
2	2012.03.090 यू.टी. सचिवालय के प्रशासक	11.38	9.50	1.88	1.01
पूजीगत दत्तमत					
अनुदान सं. 4: वित्त					
3	4059.80.800.85.00.51 मोटर वाहन	2.50	2.04	0.46	3.31
कुल					27.32

पूरक प्रावधानों के उपयोग न होने के कारण संबंधित विभागों से प्रतीक्षित हैं।

2.3.7 निधियों का अत्याधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन, विनियोजन की एक इकाई से जहाँ बचत प्रत्याशित हो, से एक अन्य इकाई, जहाँ अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता हो, अनुदान के भीतर ही निधियों का स्थानान्तरण है। वर्ष 2016-17 के विनियोजन लेखों तथा पुनर्विनियोजन आदेशों की संवीक्षा ने दर्शाया कि 10 अनुदानों में 50 उपशीर्षों के अंतर्गत पुनर्विनियोजन अनावश्यक थे क्योंकि विभाग अपने वर्तमान अनुदान का भी पूर्ण उपयोग नहीं कर सके और ₹ 278.89 करोड़ के पुनर्विनियोजन की तुलना में ₹ 475.39 करोड़ की राशि उपयोग न होकर संचित हो गई, जैसाकि परिशिष्ट 2.4 में बताया गया है। विभागों द्वारा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की गैर-प्राप्ति, अनुदान की कम प्राप्ति, प्रत्याशित बिलों की गैर-प्राप्ति, क्रय प्रस्तावों को कार्यान्वित न किया जाना, रिक्त पद, बिलों पर कार्रवाई नहीं करना एवं कम दावों की प्राप्ति कारण बताए गए। निम्नलिखित महत्वपूर्ण अभ्युक्तियाँ हैं:

- (i) अनुदान सं. 6- 'शिक्षा' के अंतर्गत उप-शीर्ष सर्वशिक्षा अभियान के अधीन भारत सरकार से अधिक राशि की प्राप्ति के कारण ₹ 49.99 करोड़ का पुनर्विनियोजन किया गया। हालाँकि, यहाँ ₹ 54.22 करोड़ की अंतिम बचत थी।
- (ii) अनुदान संख्या 7- 'चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य के अंतर्गत दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति

की प्रत्याशा में ₹ 56.99 करोड़ पुनर्विनियोजित हुए थे। हालाँकि, यहाँ ₹ 81.32 करोड़ की अंतिम बचत हुई थी।

- (iii) अनुदान संख्या 8- 'समाज कल्याण' के अंतर्गत पब्लिक स्कूलों की ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति उप शीर्ष के अंतर्गत योजना की अच्छी प्रगति के कारण ₹ 4.99 करोड़ पुनर्विनियोजित किया गया। हालाँकि, फार्म के सत्यापन की धीमी प्रगति/स्टाफ की कमी के कारण ₹ 25.63 करोड़ की अंतिम बचत हुई थी।
- (iv) अनुदान संख्या 10- 'विकास' के अंतर्गत उप शीर्ष जिला स्थापना के अंतर्गत पुरानी देयताओं के भुगतान की प्रत्याशा में ₹ 3.29 करोड़ पुनर्विनियोजित किया गया। हालाँकि, स्कैनिंग/डिजीटाइजेशन कार्य न किये जाने के कारण ₹ 7.35 करोड़ की अंतिम बचत हुई थी।
- (v) अनुदान संख्या 11- 'शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग' के अंतर्गत डीयूएसआईबी को सहायता अनुदान उप शीर्ष के अंतर्गत ₹ 11.99 करोड़ पुनर्विनियोजित किये गये। हालाँकि, स्कीम को पूरी तरह से कार्यान्वित न किये जाने के कारण ₹ 12 करोड़ की अंतिम बचत हुई थी।

उपरोक्त निधियों का आधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन त्रुटिपूर्ण बजटीय प्रक्रिया को इंगित करता है।

2.3.8 पर्याप्त अभ्यर्पण

44 उप-शीर्षों (परिशिष्ट 2.5) के संबंध में ₹ 2,206.15 करोड़ के (मूल प्रावधान के 10 करोड़ तथा 70 प्रतिशत से अधिक) उल्लेखनीय अभ्यर्पण किए गए, जिनमें से 12 उप-शीर्षों में स्कीमों के गैर-कार्यान्वयन, भा.स. से निधियों की गैर-प्राप्ति, निधि को जारी नहीं किया जाना, स्कीमों की धीमी प्रगति, निविदाओं के गैर-अन्तिमकरण तथा कम अनुदान जारी किये जाने के कारण ₹ 359.40 करोड़ के 100 प्रतिशत अनुदान अभ्यर्पित किये गये।

अनुदान संख्या- 6: शिक्षा, अनुदान सं.- 7: चिकित्सा व जनस्वास्थ्य, अनुदान संख्या- 10: विकास एवं अनुदान सं.- 11: शहरी विकास एवं लोक निर्माण के अन्तर्गत क्रमशः कुल ₹ 136.60 करोड़, ₹ 320.89 करोड़, ₹ 341.63 करोड़ तथा ₹ 1,379.40 करोड़ के अनुदानों का उल्लेखनीय अभ्यर्पण हुआ।

2.3.9 प्रत्याशित बचतों का अभ्यर्पण न किया जाना

सामान्य वित्तीय नियमों (सा.वि.नि.) का नियम 56(2) बताता है कि प्रावधानों के साथ-साथ बचतों, जिनको लाभपूर्ण ढंग से उपयोग में न लाया जा सके, उनका पूर्वानुमान होते ही वर्ष की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना सरकार को अभ्यर्पित किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य बाद के स्तर पर अभ्यर्पण की संभावना को न्यूनतम करना होता है। वर्ष 2016-17 की समाप्ति पर प्रत्येक

अनुदान/विनियोजन में ₹ एक करोड़ या अधिक बचत वाले 10 अनुदानों के अन्तर्गत ₹ 8,835.42 करोड़ की बचतों में से ₹ 3,575.75 करोड़ (बचतों का 40.47 प्रतिशत) की राशि को अभ्यर्पित नहीं किया गया था, जिसके ब्यौरे **परिशिष्ट 2.6** में दिये गये हैं।

2.3.10 व्यय का द्रुतप्रवाह

सा.वि.नि. का नियम 56 विशेषतः वित्तीय वर्ष की समाप्ति के महीनों में, व्यय के द्रुतप्रवाह की मनाही करता है और यह निर्धारित करता है कि इसे वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाएगा तथा जिसे दूर किया जाना चाहिए था। इसके विपरीत विभागों द्वारा मार्च 2017 तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 की अंतिम तिमाही में 32 उप शीर्षों के अंतर्गत किया गया व्यय कुल व्यय के 53.75 प्रतिशत और 100 प्रतिशत के बीच था, जो कि **परिशिष्ट 2.7** में दिया गया है।

अंतिम तिमाही में गैर अनुपातिक रूप से अधिक व्यय किए जाने के कारण सरकार से प्रतीक्षित हैं।

2.3.11 अन्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

(क) वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 के नियम 8 बताता है कि एकमुश्त राशि (वस्तु शीर्ष-42) शीर्ष के अन्तर्गत योजना/उप-योजना/संगठन के संदर्भ में प्रावधान, जो ₹ 10 लाख से अधिक न हो के सन्दर्भ में व्ययों को सम्मिलित किया जाएगा। अन्य सभी मामलों में, व्यय के विषयों को अलग से दिया जाएगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 367 मामलों में एकमुश्त प्रावधान ₹ 10 लाख की सीमा से अधिक थे लेकिन व्यय का विवरण नहीं दर्शाया गया था।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2017) कि व्यय के उचित वस्तु वर्ग के अन्तर्गत एकमुश्त प्रावधानों के वर्गीकरण के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है।

(ख) वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 के नियम 8 के अनुसार वस्तु वर्ग-6 पूंजीगत परिसंपत्तियों का अधिग्रहण तथा अन्य पूंजीगत व्यय के अंतर्गत शामिल वस्तु शीर्ष, जैसे 51- मोटर वाहन, 52- मशीनरी तथा उपकरण तथा 53- मुख्य निर्माण कार्य आते हैं। हालाँकि, वर्ष 2016-17 के अनुदानों हेतु विस्तृत माँगों की संवीक्षा दर्शाती है कि 74 मामलों में (**परिशिष्ट 2.8**), ₹ 2,814.40 करोड़ की राशि राजस्व व्यय के स्थान पर पूंजीगत व्यय के रूप में गलत दिखायी गयी थी।

सरकार ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2017) और कहा कि विस्तृत माँगों के लिए अनुदान 2018-19/संशोधित अनुदान 2017-18 में गलत वर्गीकरण को सही किया जाएगा।

(ग) वर्ष 2016-17 के लिए विनियोजन लेखों तथा अनुदानों की विस्तृत मांगों की संवीक्षा ने दर्शाया कि मानक कोड 99 जिसे सूचना प्रौद्योगिकी के लिए आरक्षित किया गया था, 101 मामलों में विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जा रहा था। इस शीर्ष में गलत वर्गीकरण के कारण, सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत दर्शाई गई राशि ₹ 1,705.04 करोड़ से बढ़ गई (परिशिष्ट 2.9)।

2.4 व्यय की कमी के कारण लेखों में समायोजित की गई वसूलियाँ

विधायिका को प्रस्तुत किए जाने वाले अनुदानों के लिए माँगें जिनमें जमा और वसूलियाँ सम्मिलित होती हैं, सकल व्यय के लिए होती हैं, जिसे व्यय में कमी के रूप में लेखों में समायोजित किया जाता है। प्रत्याशित वसूलियों और जमा को बजट आकलनों में पृथक रूप से 'शून्य' दिखाया जाता है। वर्ष 2016-17 के दौरान 'शून्य' पूर्वानुमानित वसूलियों के प्रति ₹ 357.42 करोड़ की वास्तविक वसूलियाँ थीं।

2.5 अनुदान सं. 10- विकास की संवीक्षा के निष्कर्ष

वर्ष 2014-17 की अवधि के लिए अनुदान संख्या-10-विकास, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के संबंध में बजटीय प्रक्रिया तथा व्यय पर नियंत्रण की संवीक्षा सितम्बर 2017 में की गई तथा मुख्य बिंदु निम्न प्रकार हैं:

- (i) पिछले तीन वर्षों के लिए अनुदान के अंतर्गत बजट प्रावधान, किए गए व्यय तथा बचत की पूरी स्थिति को तालिका 2.5 में दिया गया है:

तालिका 2.5: बजट तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रावधान		किया गया व्यय		बचत	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
2014-15	1,900.35	397.52	1,664.98	266.28	235.37	131.24
2015-16	2,205.70	568.72	2,059.75	207.63	145.95	361.09
2016-17	2,756.22	309.47	1,598.63	222.61	1,157.59	86.86
कुल	6,862.27	1,275.71	5,323.36	696.52	1,538.91	579.19

- (ii) अनुदान के तहत पांच मामलों/उप-शीर्षों में ₹ एक करोड़ या अधिक की लगातार बचतें थीं जोकि अव्यवहारिक बजटिंग, त्रुटिपूर्ण वित्तीय प्रबन्धन को दर्शा रही थीं।
- (iii) अनुदान के सेक्शन-वार विनियोजन लेखों की संवीक्षा यह दिखाती है कि राजस्व दत्तमत सेक्शन में 7 से 42 प्रतिशत की तथा राजस्व भारित सेक्शन में 78 से 100 प्रतिशत की निरंतर बचतें थीं, जबकि पूँजीगत दत्तमत सेक्शन में बचतें कुल अनुदान का 28 से 63 प्रतिशत थीं जो अव्यवहारिक बजटिंग तथा त्रुटिपूर्ण वित्तीय प्रावधानों को इंगित करती हैं।
- (iv) 55 मामलों में पुनर्विनियोजन अनावश्यक था क्योंकि विभाग अपने वास्तविक अनुदान को पूर्ण रूप से उपयोग में नहीं ला सका,

परिणामस्वरूप 2014-15 से 2016-17 के दौरान ₹ 28.28 करोड़ के पुनर्विनियोजन के प्रति इन मामलों में ₹ 44.75 करोड़ की संचित अनुपयोगी राशि थी।

- (v) अनुदान के अंतर्गत 148 उप-शीर्ष में विभाग द्वारा संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे। कुल प्रावधान की बचत इस तथ्य को इंगित करते थे कि वास्तविक आवश्यकता का मूल्यांकन किए बगैर तथा संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं की उचित संवीक्षा किए बगैर आकलन बनाए गए (परिशिष्ट 2.10)।
- (vi) सा.वि.नि. का नियम 56(3) बताता है कि व्यय का द्रुतप्रवाह विशेषतः वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में, वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाता है तथा इसे रोका जाना चाहिए। इसके विपरीत, विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में विभिन्न उप-शीर्षों के अंतर्गत कुल व्यय का 86 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य खर्च किया गया।

2.6 निष्कर्ष

2016-17 के दौरान ₹ 47,429.27 करोड़ के कुल प्रावधान के प्रति ₹ 37,620.77 करोड़ का व्यय किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9,808.50 करोड़ (20.68 प्रतिशत) की बचत हुई। 2006-07 से 2016-17 की अवधि से संबंधित ₹ 91.05 करोड़ के अधिक व्यय का संविधान की धारा 205 के अंतर्गत नियमितीकरण किया जाना था।

तीन उप-शीर्षों में ₹ 27.32 करोड़ का पूरक प्रावधान अनावश्यक था और 50 उप-शीर्षों में निधियों का पुनर्विनियोजन जिनमें ₹ एक करोड़ से अधिक की बचत अविवेकपूर्ण तरीके से जारी की गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 475.39 करोड़ के प्रावधान का उपयोग न हो सका/अधिक हो गया। 12 उप-शीर्षों में, ₹ 359.40 करोड़ की राशि का 100 प्रतिशत अनुदान अभ्यर्पित कर दिया गया। 55 मामलों में पुनर्विनियोजन अनावश्यक था क्योंकि विभाग ने वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान अनुदान सं. 10 - विकास के अंतर्गत उनके वास्तविक अनुदान का उपयोग पूरी तरह से नहीं किया।

2.7 सिफारिशें

सरकार विचार कर सकती है:

- अधिक व्ययों के नियमितीकरण की गति तीव्र करना;
- बड़ी बचतों और पूरक प्रावधानों से बचने हेतु अधिक व्यावहारिक बजट अनुमानों की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए बजटीय प्रक्रिया को उन्नत करना; तथा
- वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही/माह में व्यय की अधिकता से बचने हेतु उपयुक्त प्रणाली विकसित करना।

